दिनांक 26 अगस्त, 2026 को माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश की अध्यक्षता में आयोजित होने वाली हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति कल्याण बोर्ड की दसवीं बैठक में शामिल मदों की विभाग वार तालिका।

क्र0 सं0	विभाग का नाम	पृष्ठ संख्या
1	जल शक्ति निर्माण विभाग	1—2
2	भाषा, कला और संस्कृति विभाग	2—3
3	कार्मिक विभाग	3—4
4	तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक और औधोगिक प्रशिक्षण, विभाग	4—5
5	हिम ऊर्जा विभाग	5—6
6	शिक्षा विभाग	6—8
7	ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग	8—13
8	राजस्व विभाग	13—15
9	हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग	15—16
10	पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन विभाग	16—17
11	उपायुक्त मंडी	17—18
12	उपायुक्त कुल्लू	18—19
13	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग	19—28
14	अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विकास निगम	28

दिनांक 26 अगस्त, 2026 को माननीय मुख्य मन्त्री महोदय, हि0प्र0 की अध्यक्षता में सम्मेलन कक्ष, आर्मज़डेल भवन ,हि0 प्र0 सचिवालय शिमला में आयोजित होने वाली हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति कल्याण बोर्ड की दसवीं बैठक की कार्यसूची।

जल शक्ति निर्माण विभाग से सम्बन्धित मदेंः–

1. जिला मण्डी के विकास खण्ड बल्ह के 100% अनुसूचित जाति बहुल क्षेत्र रठोल में पीने के पानी और जल सिंचाई हेतु उचित योजनाओं को स्थापित करना।

(श्री संजय कुमार सुरेहली, जिला मंडी)

विभागीय उत्तर

विभाग द्वारा अवगत करवाया गया है कि वर्तमान में जिला मण्डी के विकास खण्ड बल्ह के अनुसूचित जाति बहुल क्षेत्र गॉव रठोल को विभाग द्वारा उठाऊ पेयजल योजना बाल्ट ग्राम समूह तथा उठाऊ पेयजल योजना करेहडी सायरा जजरीत से पीने के पानी की आपूर्ति सुचारू रूप से दी जा रही है और इस क्षेत्र को 35 हैक्टेयर भूमि के लिए सिंचाई हेतु पानी बल्ह घाटी मध्यम सिंचाई परियोजना सुन्दरनगर के उठाऊ सिंचाई एल–5 के तहत उपलब्ध करवाया जा रहा है तथा इस गॉव के लिए नई योजना स्थापित करने का मामला सरकार से संबंधित है।

(जल शक्ति विभाग)

2. जिला मण्डी के विकास खण्ड बल्ह के बाग मुहाल के लिए पीने के पानी और जल सिंचाई योजनाओं हेतु उचित धनराशि के प्रावधान हेतु।

(श्री संजय कुमार सुरेहली, जिला मंडी)

विभागीय उत्तर

विभाग द्वारा अवगत करवाया गया है कि योजना बाल्ट ग्राम समूह के पीने के पानी की आपूर्ति सुचारू रूप से दी जा रही है और इस क्षेत्र की 6 हैक्टेयर भूमि के लिए सिंचाई एल–5 के तहत उपलब्ध करवाया जा रहा है तथा इस मुहाल के लिए पानी और जल सिंचाई योजनाओं हेतु धनराशि का प्रावधान करने का मामला सरकार से संबंधित है।

(जल शक्ति विभाग)

3. कुहल का डंगा चैक डैम एंव अन्य रिपेयर का काम (अतिशीघ्र) पूरा किया जाए। चयार चोऊ के कुहल की बहुत बुरी हालत है अतः निर्माण व मुरम्मत का काम अति आवश्यक है।

(श्री बंसी लाल, जिला कांगड़ा)

विभागीय उत्तर

चयार चोऊ कुहल एक सामुदायिक कुहल है, जिसका संचालन कृषक विकास संघ द्वारा किया जाता है और यह जल शक्ति विभाग के अधीन नहीं हैं। किसानों की मांग और समस्या को ध्यान में रखते हुए चैकडैम एवं कुहल के कार्य का प्राक्कलन अधिशाषी अभियन्ता, जल शक्ति मण्डल, पालमपुर के पत्र संख्या 16133 दिनांक 20.03.2026 के द्वारा जिलाधीश कांगड़ा स्थित धर्मशाला को बजट उपलब्ध करवाने हेतु भेजा गया है।

(जल शक्ति विभाग)

4. नगर परिषद बैजनाथ पपरोला वार्ड न. 3 में सिचांई हेतु कुहल को पक्का करने के लिए लगभग 8,00,000 रूपये की आवश्यकता है जो कि सुभाष चन्द के घर से रेलवे फाटक तक जाती है जिसके लिए लगभग 8,00,000 रूपये स्वीकृत करने की कृपा करें।

(श्री राजेश कुमार, जिला कांगड़ा)

विभागीय उत्तर

विभाग द्वारा अवगत करवाया गया है कि जल शक्ति वृत धर्मशाला के मण्डल बैजनाथ के अंतर्गत नगर परिषद बैजनाथ पपरोला वार्ड 3 में सुभाष चंद के घर से रेलवे फाटक तक सिंचाई हेतु कुहल को पक्का करने के लिए अभी बजट का प्रावधान नही है। बजट का प्रावधान होने पर सिंचाई हेतु कुहल को पक्का कर दिया जाएगा।

(जल शक्ति विभाग)

भाषा, कला और संस्कृति विभाग से सम्बन्धित मदें:

5. जिला मण्डी के विकास खण्ड बल्ह के पौराणिक मंदिरों (दुर्गा माता मंदिर मोहटला–5 लाख टोणी माता बाग–5 लाख नैना माता रठोल–5 लाख नैना उग्रतारा बाग–5 लाख) के सम्पर्क मार्गों सड़कों और सुरक्षा दीवारों के लिए भाषा एवं संस्कृति विभाग या **SDP** मद से उचित धनराशि के प्रावधान बारे।

(श्री संजय कुमार सुरेहली, जिला मंडी)

विभागीय उत्तर

विभाग द्वारा अवगत करवाया गया है कि भाषा एवं संस्कृति विभाग द्वारा "धार्मिक संस्थानों, पुरास्थलों, स्मारकों के जीर्णोद्वार हेतु सहायतानुदान योजना–12" का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इस योजना के अन्तर्गत विभाग प्रदेश के प्राचीन धार्मिक संस्थानों, पुरातन स्मारकों, पुरास्थलों के जीर्णोद्वार/मुरम्मत/पुनर्निर्माण उसी सामग्री शैली में करने एवं सौन्दर्यकरण हेतु सहायतानुदान प्रदान करता है। बशर्तें की धार्मिक संस्थान किसी की निजी सम्पति न हो, नव निर्मित न हो। इस योजना में सम्पर्क मार्गों, सड़कों के निमार्ण के लिए सहायतानुदान प्रदान करने का प्रावधान नहीं है। जहां तक सुरक्षा दीवार का प्रश्न है तो वह भी विभाग केवल धार्मिक संस्थान के भवन/प्रांगण के लिए ही प्रदान करता है। यदि सम्बन्धित धार्मिक संस्थान विभागीय योजना के उक्त प्रावधानों के अन्तर्गत लाभ उठाना चाहते हैं तो यह विभाग के क्षेत्रीय कार्यालय जिला भाषा अधिकारी कार्यालय मण्डी से सम्पर्क करके योजना बारे अधिक जानकारी प्राप्त कर निधारित प्रपत्रों पर प्रकरण तैयार कर विभाग को भिजवा सकते हैं।

(भाषा, कला एवं संस्कृति विभाग)

6. **SDM** कार्यालय बल्ह के प्रांगण में बाबा साहेब भीम राव अम्बेडकर जी की बड़ी मूर्ति/प्रतिमा यथाशीघ्र स्थापित कर समाज और जनता को सार्थक संदेश प्रवाहित किया जाए, और यह कार्य सम्पूर्ण हिमाचल प्रदेश के हर एक **SDM** कार्यालय के प्रांगण में होना चाहिए।

(श्री संजय कुमार सुरेहली, जिला मंडी)

विभागीय उत्तर

इस सन्दर्भ में सम्बंधित विभाग बैठक में सूचना उपलब्ध करवाएंगे।

(भाषा, कला एवं संस्कृति विभाग)

कार्मिक विभाग से सम्बन्धित मदें:

7. निर्वाचन आयोग और भर्ती संस्थानों में सामाजिक विविधता सुनिश्चित करने हेतु राज्य स्तर पर आरक्षण रोस्टर की नियमित समीक्षा एवं स्वतंत्र सामाजिक पर्यवेक्षण समिति का गठन किया जाए, ताकि किसी भी वर्ग के साथ अन्याय न हो।

(श्री रमेश चंद, जिला हमीरपुर)

विभागीय उत्तर

इस संदर्भ में अवगत करवाया जाता है कि सरकार ने कार्मिक विभाग के दिनांक 17–12–1993 के पत्र के माध्यम से संपर्क अधिकारियों की नियुति के सम्बन्ध में निर्देश जारी किए गए हैं, जिसे समय–समय पर दोहराया गया है। कार्मिक विभाग के पत्र संख्या PER(AP-III)-D(5)-1/90-Vol.V, दिनांक 26–06–2012 द्वारा संपर्क अधिकारी के दायित्य विस्तृत रूप से उल्लेखित किए गए है जिसके अनुसार, संपर्क अधिकारी अधीनस्थ नियुक्ति प्राधिकारियों द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अन्य आरक्षित श्रेणियों के आरक्षण और उन्हें प्राप्त होने वाले अन्य लाभों से संबंधित आदेशों और निर्देशो का विधिवत अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी है। इन निदेर्शों को पत्र संख्या PER(AP)-C-E(3)-2/2021, दिनांक 28–06–2021 द्वारा दोहराया गया है।

(कार्मिक विभाग)

8. निजी क्षेत्र में रोजगार हेतु **HP SC/ST Employment Promotion Authority HP SC/ST Employment Promotion Authority** का गठन किया जाए।

(श्री रमेश चंद, जिला हमीरपुर)

विभागीय उत्तर

इस सन्दर्भ में सम्बंधित विभाग बैठक में सूचना उपलब्ध करवाएंगे।

(कार्मिक विभाग)

तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक और औधोगिक प्रशिक्षण, विभाग से सम्बन्धित मदें:

9. राज्य के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में डॉ. भीमराव अंबेडकर भवन औद्योगिक एवं प्रशिक्षण "कॉम्प्लेक्स" की स्थापना की जाए। यह भवन अनुसूचित जाति समुदाय के युवाओं एवं कारीगरों के आर्थिक सशक्तिकरण तथा कौशल विकास का केंद्र होगा।

(श्री रमेश चंद, जिला हमीरपुर)

विभागीय उत्तर

इस संदर्भ में अवगत करवाया जाता है कि वर्तमान में तकनीकी शिक्षा विभाग के तहत 05 इंजीनियरिंग कॉलेज, 05 फार्मेसी कॉलेज, 17 पॉलिटेक्निक, 136 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, 01 मोटर ड्राइविंग और भारी अर्थ मूविंग मशीनरी ऑपरेटर स्कूल और 01 एमएसएमई प्रौद्योगिकी केन्द्र बद्दी सरकारी क्षेत्र में कार्यरत हैं। बहुतकनीकी, फार्मेसी महाविद्यालयों में

कोर्सों को चलाने हेतु नियामक संस्था अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (AICTE)/ फार्मेसी कौंसिल आफ इंडिया (PCI) का अनुमोदन आवश्यक होता है। इसी तरह औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के कोर्सों को चलाने हेतु राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद/राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद से संबद्धता आवश्यकता होती है। उपरोक्त सभी संस्थानों में अनुसूचित जाति के युवाओं/बच्चों को प्रवेश हेतु 22 प्रतिशत सीटें आरक्षित होती हैं। इस संबन्ध में विशेष रूप से अवगत करवाया जाता है कि वर्तमान में तकनीकी शिक्षा विभाग पहले से अधिसूचित संस्थानों/कोर्सों को चलाने, उद्योगो की मांग अनुसार न्यू–ऐज कोर्स चलाने एवं गत वर्षों में खुले संस्थानों/कोर्सों के लिए मानकों के अनुसार जरूरी आधारभूत संरचना/स्टाफ इत्यादि को उपलब्ध करवाने में प्रयासरत है। अतः वर्तमान में उपरोक्त के अतिरिक्त प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में डॉ भीमराव अंबेडकर भवन औद्योगिक एवं प्रशिक्षण कॉम्लेक्स बनाने हेतु कोई भी विभागीय योजना नहीं है।

(तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक और औधोगिक प्रशिक्षण, विभाग)

हिम ऊर्जा विभाग से सम्बन्धित मदेंः–

10. सोलर लाईट बस्ती में 5 (गांव) सोलर लाईट की जरूरत है।

(श्री बंसी लाल, जिला कांगड़ा)

विभागीय उत्तर

इस संदर्भ में अवगत करवाया जाता है कि कांगड़ा गांव के 5 गांव/बस्तियों में सोलर लाईटों की स्थापना की आवश्यकता के सम्बन्ध में यह अवगत करवाया जाता है कि चालू वित्तीय वर्ष में अनुसूचित जाति घटक योजना (SC Component Plan) के अन्तर्गत अनुसूचित जाति बहुल गांवों/ बस्तियों में सोलर लाईटों की स्थापना हेतु बजट का कोई प्रावधान नहीं है। यदि भविष्य में उक्त उद्देश्य हेतु राज्य सरकार द्वारा बजट धनराशि उपलब्ध करवाई जाती है, तो हिमाचल प्रदेश ऊर्जा विकास अभिकरण (HIMURJA) द्वारा उक्त गांवों/बस्तियों में सोलर लाईटों की स्थापना हेतु आवश्यक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

(हिम ऊर्जा विभाग)

11. राज्य सरकार की **HIMURJA** योजना के माध्यम से अनुसूचित जाति (**SC**) समुदाय, विशेषकर जमीन–विहीन और युवा उद्यमियों को सौर, बायोगैस, लघु उद्योग, और ग्रामीण ऊर्जा परियोजनाओं में सक्रिय भागीदारी का अवसर प्रदान करना।

(श्री रमेश चंद, जिला हमीरपुर)

विभागीय उत्तर

इस संदर्भ में अवगत करवाया जाता है कि हिम ऊर्जा (HIMURJA) के माध्यम से संचालित योजनाओं के अन्तर्गत राज्य सरकार के प्रावधानों से अनुसूचित जाति, भूमिविहिन उद्यमियों अथवा अन्य लाभार्थियों के कल्याण हेतु बायोगैस संयंत्र, लघु उद्योग अथवा सौर ऊजा संयंत्र की स्थापना के लिए वर्तमान में कोई ऐसी विशिष्ट कल्याणकारी योजना प्रचलित नहीं है, जिसके अर्न्तगत राज्य सरकार द्वारा इन परियोजनाओं की स्थापना हेतु प्रत्यक्ष रूप से कोई सबसिडी (Subsidy) प्रदान की जा रही हो। HIMURJA द्वारा निजी क्षेत्र में 250 किलोवाट से लेकर 5 मेगावाट क्षमता तक की ग्राउंड माउन्टेड और ऊजा संयंत्रों की स्थापना हेतु ओपन पॉलिसी के अर्न्तगत उद्यमियों को प्रेरित किया जा रहा है। इस नीति के अन्तर्गत इच्छुक उद्यमी निधारित दिशा–निर्देश एवं प्रावधानों के अनुसार सौर ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित कर सकते है, जिससे उत्पादित बिजली को हिमाचल प्रदेश विद्युत परिषद लिमिटिड (HPSCBL) को हिमाचल प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (HPERC) द्वारा निधारित की गई दरों पर बेचा जा सकता है जिससे प्रदेश में नवीकरणीय ऊर्जा के विकास के साथ–साथ उद्यमिता को भी बढ़ावा मिल रहा है।

(हिम ऊर्जा विभाग)

शिक्षा विभाग से सम्बन्धित मदें:

12. शिक्षा ब्लॉक कंडाघाट जिला सोलन के तहत सरकारी हाई स्कूल भवन कड़ोग का निर्माण भवन की नींव 27 सितंबर, 2017 को रखी गई थी, लेकिन भवन का निर्माण कार्य अभी तक शुरू नहीं हुआ है, जबकि फंड कार्यकारी एजेंसी **HPPWD** डिवीजन सोलन के पास उपलब्ध है। कड़ोग गांव की **SC** आबादी 89.54**%** से अधिक है और पड़ोसी गांव कुरगल की 54**%** है।

(श्री पलक राम, जिला सोलन)

विभागीय उत्तर

इस सन्दर्भ में सम्बंधित विभाग बैठक में सूचना उपलब्ध करवाएंगे।

(शिक्षा विभाग)

13. प्राइमरी स्कूलों में मिड–डे मील के दौरान प्राइमरी स्कूल के छात्रों द्वारा जातिवाद सीखना। सरकार के समय–समय पर दिए गए निर्देशों के बावजूद, सरकारी स्कूलों में मिड–डे मील के दौरान छात्रों के जाति के अनुसार बैठने की बात अभी भी सामने आ रही है।

(श्री पलक राम, जिला सोलन)

विभागीय उत्तर

इस सन्दर्भ में सम्बंधित विभाग बैठक में सूचना उपलब्ध करवाएंगे।

(शिक्षा विभाग)

14. हमारे गाँव मे राजकीय प्राथमिक पाठशाला पुखारी है जोकि 1995 मे खुला था इस साल भारी बरसात के कारण **G.P.S** पुखारी पूरी तरह से तबाह हो गया है। जिससे वहाँ पर बच्चों को बैठाना भी जोखिम भरा हो गया है विभाग द्वारा स्कूल को डेंजर जोन घोषित किया गया है वहाँ पर 40–42 बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे है जिसको टैंट मे बैठाया जा रहा है। अतः आपसे निवेदन है कि इस पर भी विचार किया जाए।

(श्री शिव राम, जिला कुल्लू)

विभागीय उत्तर

इस सन्दर्भ में सम्बंधित विभाग बैठक में सूचना उपलब्ध करवाएंगे।

(शिक्षा विभाग)

15. अनुसूचित जाति के बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए उच्च संस्थानों में दाखिला राशि में वितीय छूट दी जाए।

(श्री अमर सिंह धीमान, जिला सिरमौर)

विभागीय उत्तर

इस सन्दर्भ में सम्बंधित विभाग बैठक में सूचना उपलब्ध करवाएंगे।

(शिक्षा विभाग)

16. अनुसूचित जाति के गरीब बच्चों की उच्च शिक्षा ग्रहण करने हेतू काम युक्त ऋण और कोचिंग की सुविधा प्रदान की जाएं।

(श्री सन्तराम चौहान, जिला सिरमौर)

विभागीय उत्तर

इस सन्दर्भ में सम्बंधित विभाग बैठक में सूचना उपलब्ध करवाएंगे।

(शिक्षा विभाग)

17. चुराह विधान सभा क्षेत्र में अनुसूचित जाति मे बहुत से लोग बेरोजगार और अति गरीब है जो अपने बच्चों को बड़ी क्लासो में पढाने में असमर्थ है। हि0प्र0 सरकार उन लोगों के बच्चो को सरकारी खर्चे मे पढाने हेतू कोई ठोस नीति बना कर कृपा करे।

(श्री लक्ष्मण दास, जिला चम्बा)

<u>विभागीय उत्तर</u>

इस सन्दर्भ में सम्बंधित विभाग बैठक में सूचना उपलब्ध करवाएंगे।

(शिक्षा विभाग)

18. लाभार्थियों से सबंधित शिकायतें, जिसमें लंबित आवदेनों जैसे छात्रवृति अनुमोदन, आर्थिक सहायता, प्रमाण पत्र, स्वीकृति आदि की वर्तमान स्थिति प्रस्तुत की जाए। विलंब के कारणों पर चर्चा कर जरूरी सुधारात्मक कदम तय किए जाएं शिकायत निवारण प्रणाली को पारदर्शी, सुगम और सही बनाने हेतु, सुझाव दिशा–निर्देश निर्धारित किए जाए। अनुसूचित जाति के उत्थान से संबधित प्रमुख चुनौतियों जैसे आर्थिक सशक्तिकरण शिक्षा आवास रोजगार भेदभाव के प्रकरण योजनाओं की पहुंच में अवरोध दस्तावेजीकरण समस्याएं का विस्तृत सार रखा जाए। विभिन्न विभागों (शिक्षा सामाजिक न्याय ग्रामीण समन्वय में आने वाली कठिनाईयों को चिन्हित किया जाए। इन चुनौतियों के समाधान हेतु प्रस्तावित कार्ययोजना संसाधन आवश्यकताएं तथा जिला स्तर पर अपेक्षित सहयोग पर चर्चा की जाएं।

(श्री त्रिलोक चन्द, जिला कांगड़ा)

<u>विभागीय उत्तर</u>

इस सन्दर्भ में सम्बंधित विभाग बैठक में सूचना उपलब्ध करवाएंगे।

(शिक्षा विभाग)

<u>ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग से सम्बन्धित मदें:</u>

19. हमारी पंचायत में लगभग आधी पंचायत में कूड़ेदान वितरित नहीं किए गए है। अगर हो सके तो इस से बेहतर यह होगा कि कूड़ावाहन का इन्तजाम किया जाए।

(श्री देवी सिहं, जिला सिरमौर)

विभागीय उत्तर

इस सन्दर्भ में सम्बंधित विभाग बैठक में सूचना उपलब्ध करवाएंगे।

(ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग)

20. अनुसूचित जाति को रोजगार दिलाने के लिए स्वयं सहायता समूह विभिन्न योजना के अतंर्गत बनाने चाहिए ताकि लोगों को रोजगार प्राप्त हों।

(श्री अमर सिंह धीमान, जिला सिरमौर)

विभागीय उत्तर

इस सन्दर्भ में सम्बंधित विभाग बैठक में सूचना उपलब्ध करवाएंगे।

(ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग)

21. समस्त पंचायत प्रतिनिधियों के मानदेय को दोगुना करना, भत्ते **(TA/DA-CONVEYANCE ALLOWANCE & VEHICLE)** प्रदान करना तथा पेंशन शुरू करना (पूर्व प्रतिनिधियों सहित) सरकार के सर्वहितकारी रूप को स्थापित करने में सहायक होगा। क्यूंकि इसमें कार्य करने से पचांयत प्रतिनिधि वर्ग (जिसमें मुख्यतः अनुसूचित जाति वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग और महिला वर्ग का कुल मिलाकर हकीकत में लगभग 75 **%** भाग है।

(श्री संजय कुमार सुरेहली, जिला मंडी)

विभागीय उत्तर

इस सन्दर्भ में सम्बंधित विभाग बैठक में सूचना उपलब्ध करवाएंगे।

(ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग)

22. जिला मण्डी के विकास खण्ड बल्ह के अनुसूचित जाति बहुल क्षेत्र रठोल मुहाल के लिए दो एम्बुलेंस सड़क निर्माण (**1 KM**) एक **PWD** बाग रठोल रोड पर बालकी देवी के घर से।

(श्री संजय कुमार सुरेहली, जिला मंडी)

विभागीय उत्तर

इस सन्दर्भ में सम्बंधित विभाग बैठक में सूचना उपलब्ध करवाएंगे।

(ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग)

23. जिला मण्डी के विकास खण्ड बल्ह के बाग–डहनू मुहाल अनुसूचित जाति बहुल क्षेत्र के लिए एम्बुलेंस सडक निर्माण (**1+1+1 KM**) कुण्डी नाला बाग से मनोज वगैरह के घर से होते शरवन के घर तक बाग मुहाल में पीतांबर के घर से नारायण पूर्ण के घर से होते हुए डहनू गांव तक **PWD** रोड से बुधी सिंह तेज राम के घर तक।

(श्री संजय कुमार सुरेहली, जिला मंडी)

विभागीय उत्तर

इस सन्दर्भ में सम्बंधित विभाग बैठक में सूचना उपलब्ध करवाएंगे।

(ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग)

24. जिला मण्डी के विकास खण्ड बल्ह के ग्राम पंचायत बाल्ट के विभिन्न गांवों के युवाओं के लिए एक जिम (इंडोर और आउटडोर) एक इंडोर स्टेडियम, एक लाइब्रेरी और एक बड़े खेल मैदान के निर्माण हेतु उचित धनराशि के प्रावधान हेतु क्योंकि युवाओं को चिट्टा जैसे अवगुणों से दूर रखने के लिए।

(श्री संजय कुमार सुरेहली, जिला मंडी)

विभागीय उत्तर

इस सन्दर्भ में सम्बंधित विभाग बैठक में सूचना उपलब्ध करवाएंगे।

(ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग)

25. मुहाल जजरौत/183 में केहड़ी सड़क के एस0सी0 बस्ती के लिए पंचायत के द्वारा लिंक रोड़ का निर्माण किया गया था, वह भारी वर्षा के कारण बीच से क्षतिग्रस्त हो चुका है।

(श्री गुरमिर सिंह, जिला मंडी)

विभागीय उत्तर

इस सन्दर्भ में सम्बंधित विभाग बैठक में सूचना उपलब्ध करवाएंगे।

(ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग)

26. हमारे घर के पास एक रास्ता जोकि मंगलू राम के घर से लेकर झडूं राम के घर तक है जोकि पूर्णतः कच्चा है। कुछ समय पूर्व बनाया गया था जो अब टूट चुका है, उसे पक्का करवाने की कृपा करें।

(श्रीमति कौशल्या देवी, जिला कांगड़ा)

विभागीय उत्तर

इस सन्दर्भ में सम्बंधित विभाग बैठक में सूचना उपलब्ध करवाएंगे।

(ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग)

27. रास्ते का कार्य पदरा चौक से बस्ती तक कार्य जो रास्ते में टाईल बिछाई गई है, अधूरी है। टाईल का काम किया गया है। वह भी सही तरीके से नहीं किया गया है।

(श्री बंसी लाल, जिला कांगड़ा)

विभागीय उत्तर

इस सन्दर्भ में सम्बंधित विभाग बैठक में सूचना उपलब्ध करवाएंगे।

(ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग)

28. बस्ती में बहुत दिन पहले एक सामुदायिक भवन का निर्माण हुआ है। लेकिन इसका पलस्तर भी नहीं हुआ है। बिजली का कार्य भी नहीं हुआ है। यह किसी प्रयोग के काबिल नहीं है। इसकी चार दिवारी बाथरूम पानी की सप्लाई पलस्तर खिड़की दरवाजों का कार्य शेष है।

(श्री बंसी लाल, जिला कांगड़ा)

विभागीय उत्तर

इस सन्दर्भ में सम्बंधित विभाग बैठक में सूचना उपलब्ध करवाएंगे।

(ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग)

29. डा0 भीमराव अम्बेडकर भवन निर्माण बारे गावं व डाक घर धरूेह वार्ड न03 इस वार्ड में अधिकतर अनुसूचित जाति के लोग रहते हैं इस वार्ड में डा0 भीम राव अम्बेडकर भवन निर्माण के साथ पार्किग शौचालय रसोई बच्चों को पढ़ने के लिए पुस्तकालय एक सम्मेलन हालॅ व आराम करने के लिए कुछ कमरे उपलब्ध करवाए जाए।

(श्री सुभाष सिंह, जिला कांगड़ा)

विभागीय उत्तर

इस सन्दर्भ में सम्बंधित विभाग बैठक में सूचना उपलब्ध करवाएंगे।

(ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग)

30. कबीर पंथी सामुदायिक भवन महाल धारबग्गी बैजनाथ के लिए लगभग 14,35,608 रूपये स्वीकृत करने की कृपा करें।

(श्री राजेश कुमार, जिला कांगड़ा)

<u>विभागीय उत्तर</u>

इस सन्दर्भ में सम्बंधित विभाग बैठक में सूचना उपलब्ध करवाएंगे।

(ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग)

31. शिमला में कबीर समुदाय भवन के लिए लगभग 15,00,000 रूपये स्वीकृति प्रदान करने की कृपा करें।

(श्री राजेश कुमार, जिला कांगड़ा)

<u>विभागीय उत्तर</u>

इस सन्दर्भ में सम्बंधित विभाग बैठक में सूचना उपलब्ध करवाएंगे।

(ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग)

32. लिंक रोड़ डिभर से जडाना, वरियड, निडगुआ के निर्माण हेतु वचत हेतु अनुमानित राशि उपलब्ध करवाई जाने की कृपा करे उपरोक्त रोड़ ग्रा0 प0 भराड़ा में उपरोक्त जो गॉव है उक्त गॉव में लगभग 100 प्रतिशत **S.C** के जाति के लोग रहते हैं उपरोक्त रोड़ से सभी गॉव के लोगों को फायदा मिलेगा सरकार हि0प्र0 से हमारा अनुरोध है कि उपरोक्त के लिए बजट देने की कृपा करें।

(श्री किशोरी लाल, जिला चम्बा)

<u>विभागीय उत्तर</u>

इस सन्दर्भ में सम्बंधित विभाग बैठक में सूचना उपलब्ध करवाएंगे।

(ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग)

33. पंचायत सचिव की नई भूमिका **"SC/ST"** रक्षक, एजुकेटर एवं प्रमोटर" पंचायत सचिव को **SC/ST** अधिकारों के रक्षक, शिक्षादाता और प्रमोटर के रूप में नामित किया जाए।

(श्री रमेश चन्द, जिला कांगड़ा)

<u>विभागीय उत्तर</u>

इस सन्दर्भ में सम्बंधित विभाग बैठक में सूचना उपलब्ध करवाएंगे।

(ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग)

34. गाँव पुजारी **90%** अनुसूचित जाति का गॉव है जिसकी कुल आबादी लगभग 450 सौ से भी ऊपर है और गाँव मे रोड नहीं है एक एबूलेंस रोड निकाला था जोकि भारी बरसात के कारण पूरा श्रतिग्रस्त हो गया है और रास्ते भी पूरे गाँव के क्षतिग्रस्त हो चुके है। मेरा

विनम्र आग्रह रहेगा कि हमारे गाँव को **SC Component** के तहत रोड और रास्ते बनाने के लिए स्पैशल फंड का इन्तजाम करके गाँव के लिए उचित सुविधा मिल सके।

(श्री शिवराम, जिला कुल्लू)

विभागीय उत्तर

इस सन्दर्भ में सम्बंधित विभाग बैठक में सूचना उपलब्ध करवाएंगे।

(ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग)

35. ग्राम पंचायत हाट में सामुदायिक भवन की आवश्यकता है ताकि ग्रामीण प्रवेश के निर्धन व मध्यवर्गीय लोग लाभान्वित हो सके।

(श्री बुधी सिंह, जिला कुल्लू)

विभागीय उत्तर

इस सन्दर्भ में सम्बंधित विभाग बैठक में सूचना उपलब्ध करवाएंगे।

(ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग)

राजस्व विभाग से सम्बन्धित मदें:

36. हमारी जानकारी के मुताबिक अभी भी कुछ अनुसूचित जाति के लोगों के पास जमीन पांच बीघा से कम है जमीन पांच बीघा उपलब्ध करवाई जाए।

(श्री अमर सिंह धीमान, जिला सिरमौर)

विभागीय उत्तर

इस सन्दर्भ में सम्बंधित विभाग बैठक में सूचना उपलब्ध करवाएंगे।

(राजस्व विभाग)

37. एयरपोर्ट विस्तरीकरण की जद में प्रभावित हुए अनुसूचित जाति के लोग आपसे विनती करना चाहते है कि हमें हमारे अधिकारों के तहत मुआवजा प्रदान किया जाए। **SC** समुदाय के अधिकांश परिवार एयरपोर्ट विस्तरीकरण के कारण भूमिहीन हो चुके है। बहुत से परिवार आज तक यथाउचित भूमि नहीं खरीद पाए है। व अपने आप को असहाय महसूस कर रहे है। उनके सामने रहने व रोजी रोटी का संकट पैदा हो गया है। अधिकांश लोग दिहाड़ी मजदूरी करके परिवार का भरण पोषण करते हैं।

(संजू कुमारी, जिला कांगड़ा)

विभागीय उत्तर

इस सन्दर्भ में सम्बंधित विभाग बैठक में सूचना उपलब्ध करवाएंगे।

(राजस्व विभाग)

38. तहसील कार्यालय थुनाग व उप तहसील कार्यालय छतरी जिला मण्डी में गरीब किसानों के भूमि तकसीम व निशानदेही के काफी मामले कई सालों से लम्बित पड़े है। इन मामलों का समय पर निपटारा नहीं हो रहा है। अधिकारी व कर्मचारी जानबूझ करके तकसीम व निशानदेही के मामले निपटाने में देरी करते है। इस संदर्भ में सरकार द्वारा आदेश भी हुए है कि ऐसे मामले निर्धारित समय पर निपटाये जाए ताकि गरीब आदमियों के कार्य समय रहते हो सके।

(श्री कांशी राम चौहान, जिला मण्डी)

विभागीय उत्तर

इस सन्दर्भ में सम्बंधित विभाग बैठक में सूचना उपलब्ध करवाएंगे।

(राजस्व विभाग)

39. प्रत्येक अनुसूचित जाति परिवार को 5 बीघा भूमि दी जाए, साथ ही यह कानूनी रूप से सुरक्षित की जाए कि वह भूमि बेची या स्थानांतरित नहीं की जा सके, ताकि यह आने वाली पीढ़ियों के लिए स्थायी संपत्ति के रूप में बनी रहे।

(श्री रमेश चंद, जिला हमीरपुर)

विभागीय उत्तर

इस सन्दर्भ में सम्बंधित विभाग बैठक में सूचना उपलब्ध करवाएंगे।

(राजस्व विभाग)

40. हाली जाति में अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र नहीं है और राजस्व अभिलेख में आर्य जाति दर्ज है परन्तु अपने इलाके और बाकी जगह हाली जाति जाना जाता है इसके लिए जाति दुरूस्ती का कोई सरल उपाय होना चाहिए सरकार को इस पर विचार करके जाति दुरूस्ती बारे लोगो पर कृतार्थ करने की कृपा।

(श्री लक्ष्मण दास, जिला चम्बा)

विभागीय उत्तर

It has been informed by the Department that caste "Hali" is listed in the Scheduled of Caste notified by Himachal Pradesh Government and "Arya" is probably a surname used. However any issue regarding caste correction is dealt as per instructions issued by the Government.

(राजस्व विभाग)

41. वर्तमान समय में जो सरकारी भूमि विवाद, और माननीय कोर्ट का फैसला जोंकि अवैध कब्जों को हटाने बारे है। इसमें अधिकांश लोग अनुसूचित वर्ग से परेशान है। क्योंकि आजादी के बाद उन लोगों को या तो पचांयतों में या तो सरकार ने उस समय सरकारी

भूमि पर बसाया था। उसी जमीन पर उनकी कई पीढ़ियाँ हुई है। परन्तु अब ये परिवार मकान घर उजड़ने के डर में जी रहे है।

(उर्मिला देवी, जिला कांगडा)

विभागीय उत्तर

इस सन्दर्भ में सम्बंधित उपायुक्त बैठक में सूचना उपलब्ध करवाएंगे।

(राजस्व विभाग)

हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग से सम्बन्धित मदें:–

42. एक डंगा जोकि मुख्य सड़क के नजदीक है और गिर चुका है और निर्माणाधीन था किन्तु उसका काम रूक चुका है। (मुख्य सड़क हनुमान मदिंर (मट्ट) से लेकर प्रकाश चन्द की दुकान तक है) का कार्य पूर्ण करवाने की कृपा करें।

(श्रीमति कौशल्या देवी, जिला कांगड़ा)

विभागीय उत्तर

इस सन्दर्भ में सम्बंधित विभाग बैठक में सूचना उपलब्ध करवाएंगे।

(हि0प्र0 लोक निर्माण विभाग)

43. लिंक रोड **S.C** बस्ती भराड़वी से प्रभा के लिए रोड़ निर्माण हेतु अनुमानित बचत राशि देने हेतु कृपा करे उपरोक्त रोड़ अभी तक जो कि **S.C** जाति प्रभा के लोगों को रोड़ का फायदा नही मिल पाया है ग्राम पंचायत चरड़ा का प्रभा गॉव रोड़ से लगभग 5 कि0 मी0 की दूरी पर है।

(श्री राम सिंह, जिला चम्बा)

विभागीय उत्तर

इस सन्दर्भ में सम्बंधित विभाग बैठक में सूचना उपलब्ध करवाएंगे।

(हि0प्र0 लोक निर्माण विभाग)

44. बस योग्य रोड़ तो **P.W.D** विभाग द्वारा खोला जा रहा है लेकिन हर पंचायत मे 3–4 रोड जीप योग्य भी है। जो इस साल भारी बरसात के कारण बन्द हो गये है लोगों को रोड बन्द होने काफी मुशकिलों का सामना करना पड़ रहा है लोगों की सारी नगदी फसलें इस बार खेतों मे ही सड़ गई जिससे लोगों को काफी नुकसान उठाना पड़ा।

(श्री शिवराम, जिला कुल्लू)

विभागीय उत्तर

इस सन्दर्भ में सम्बंधित विभाग बैठक में सूचना उपलब्ध करवाएंगे।

(हि0प्र0 लोक निर्माण विभाग)

45. हमारी सैंज वैली में एक रोड एक लिंक रोड भी है जोकि दो वैलियो को आपस मे जोड़ता है सैन्ज वैली और गड़सा वैली को लेकिन उस रोड की दुर्दशा इतनी खराब है कि वहाँ आए दिन हादसे होते रहते है कई लोग उस रोड मे अपनी जान गंवा चुके है। उस रोड की लम्बाई लगभग 4–5 कि0 मी0 है पुखारी से जौली कंडी भलाण रोड़ जिसका **P.W.D** द्वारा तीन चार बार सर्वे भी हुआ है लेकिन कोई बजट उस रोड के लिए नहीं आया। उस रोड ने लगभग 8–9 गाँव आते है जो ज्यादा अनुसूचित जाति के गाँव है। अतः आपसे निवेदन है कि **SC** को कम्पोनेट के तहत रोड के लिए बजट का प्रावधान किया जाए।

(श्री शिवराम, जिला कुल्लू)

विभागीय उत्तर

इस सन्दर्भ में सम्बंधित विभाग बैठक में सूचना उपलब्ध करवाएंगे।

(हि0प्र0 लोक निर्माण विभाग)

46. राज्य सरकार ठेकेदारी एवं निर्माण कार्यों में अनुसूचित जाति परिवारों के लिए विशेष आरक्षण नीति लागू करे ताकि ठेकेदारी कार्यों में भी सामाजिक न्याय का संतुलन स्थापित हो और अनुसूचित परिवार आर्थिक रूप से सशक्त हो।

(श्री रमेश चंद, जिला हमीरपुर)

विभागीय उत्तर

इस सन्दर्भ में सम्बंधित विभाग बैठक में सूचना उपलब्ध करवाएंगे।

(हि0प्र0 लोक निर्माण विभाग)

पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन विभाग से सम्बन्धित मदें:–

47. इस समय हम हवाई अड्डा गग्गल में विस्तारीकरण के अन्तर्गत आ गए है। जिसमें हमारा व्यवसाय खाल चमड़ा व्यापार व रिहाईश मकान का अलग दिया जा रहा जो हमें बताया जा रहा उससे हमें बेहताशा परेशान करने वाला विषय हो गया है और आने वाले समय में हम बरबाद हो जाएगें। अतः सरकार से अनुरोध है कि हमारी इस समस्या का समाधान ठीक ढंग से करें। जो **R&R** सरकार द्वारा बनाया गया है वो ठीक जैसे मेरे परिवार में मेरे तीन लड़के है शादीशुदा है। एक **R&R** दिया जा रहा है। जोकि गलत है क्योंकि हमारे लोगों के पास केवल रिहाईशी ही जमीन है। जिसका उपयोग हमें जमीन लेने में ही खत्म हो जाएगां। इसलिए शादीशुदा को अलग–2 **R&R** दिया जाए तो इस समस्या का समाधान हो सकता है।

(श्री ज्ञान चंद, जिला कागड़ा)

विभागीय उत्तर

इस सन्दर्भ में सम्बंधित विभाग बैठक में सूचना उपलब्ध करवाएंगे।

(पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन विभाग)

उपायुक्त मंडी से सम्बन्धित मदें:–

48. **SDM** कार्यालय बल्ह में चल रही लाइब्रेरी को बाबा साहेब भीम राव जी को समर्पित कर, तथा उसके अंदर विभिन्न कक्ष कबीर जी, रविदास जी, विश्वकर्मा जी, परशुराम जी, शिवजी एंव अन्य को समर्पित कर समाज को उनके इतिहास से जोड़ने का कार्य कर विभिन्न समाज में बेहतर सामन्जसय और सौहार्द स्थापित किया जा सकता है।

(श्री संजय कुमार सुरेहली, जिला मंडी)

विभागीय उत्तर

इस सन्दर्भ में प्राप्त सूचना अनुसार उप–मण्डलाधिकारी (ना0) कार्यालय बल्ह ने अवगत करवाया है कि इस मामले मे निर्णय राज्य सरकार के स्तर पर लिया जाना आपेक्षित है।

(उपायुक्त मंडी)

49. जिला मण्डी के विकास खण्ड बल्ह के ग्राम पचांयत बाल्ट में जजरौत मुहाल, अनुसूचित जाति एंव अन्य पिछड़ा वर्ग बहुत क्षेत्र में विभिन्न निमार्ण कार्यों हेतु **SDP/ SDRJ/ NDRF** मद में उचित धनराशि का प्रावधान करना।

(श्री संजय कुमार सुरेहली, जिला मंडी)

विभागीय उत्तर

इस संबध में अवगत करवाया है कि खंड विकास अधिकारी बल्ह से दस लाख रूपये की अनुदान राशि हेतु प्राकलन प्राप्त हुआ है परन्तु बजट का प्रावधान न होने के कारण कार्य लंबित है। जैसे ही बजट का प्रावधान होता है तो इस कार्य को पुरा कर लिया जाएगा।

(उपायुक्त मंडी)

50. जिला मंडी के विकास खण्ड बल्ह की ग्राम पंचायंत बाल्ट के डेबरी गांव की अनुसूचित जाति व अन्य पिछड़ा वर्ग बहुल आबादी को **SDP** मद में उचित राशि लगभग 25 लाख का प्रावधान कर एम्बुलेंस रोड(**1.5KM)** की सुविधा यथाशीघ्र प्रदान करने बारे, जिसके लिए सरकार ने लगभग दो वर्ष पहले ही मजबूत संस्तुति प्रदान कर दी है कि स्कूल की दीवार को 2 कदम पीछे हटा कर यह सड़क निर्माण कर दिया जाए, परन्तु जिला प्रशासन ने अभी तक कोई गंभीर कार्यवाही नहीं की है।

(श्री संजय कुमार सुरेहली, जिला मंडी)

विभागीय उत्तर

इस संबध में अवगत करवाया है कि खंड विकास अधिकारी बल्ह से पांच लाख रूपये की अनुदान राशि हेतु प्राकलन प्राप्त हुआ है परन्तु बजट का प्रावधान न होने के कारण कार्य लंबित है। जैसे ही बजट का प्रावधान होता है तो इस कार्य को पूरा कर लिया जाएगा।

(उपायुक्त मंडी)

51. जिला मंडी के विकास खण्ड बल्ह के बाल्ट मुहाल में वार्ड बाल्ट 2 जोकि 100% अनुसूचित जाति बहुल गांव है, के लिए **SDP** मद में एम्बुलेंस सड़क (**1.5KM**) निर्माण हेतु धनराशि के प्रावधान बारे।

(श्री संजय कुमार सुरेहली, जिला मंडी)

विभागीय उत्तर

इस संबध में अवगत करवाया है कि खंड विकास अधिकारी बल्ह से दस लाख रूपये की अनुदान राशि हेतु प्राकलन प्राप्त हुआ है परन्तु बजट का प्रावधान न होने के कारण कार्य लंबित है। जैसे ही बजट का प्रावधान होता है तो इस कार्य को पुरा कर लिया जाएगा।

(उपायुक्त मंडी)

52. जिला मण्डी के विकास खण्ड बल्ह के बाग मुहाल में श्मशान घाट के बेहतर निर्माण और संरक्षण हेतु **SDP** मद में उचित धनराशि के प्रावधान बारे 15 लाख शमशान घाट निर्माण और 20 लाख नाले से सुरक्षा हेतु दीवार/स्टेडियम निर्माण हेतु।

(श्री संजय कुमार सुरेहली, जिला मंडी)

विभागीय उत्तर

इस संबध में अवगत करवाया है कि खंड विकास अधिकारी बल्ह से दस लाख रूपये की अनुदान राशि हेतु प्राकलन प्राप्त हुआ है परन्तु बजट का प्रावधान न होने के कारण कार्य लंबित है। जैसे ही बजट का प्रावधान होता है तो इस कार्य को पूरा कर लिया जाएगा।

(उपायुक्त मंडी)

उपायुक्त कुल्लू से सम्बन्धित मदें:—

53. ग्राम पंचायत हाट जिला कुल्लू हि0प्र0 में निमाणाधीन आयुर्वेदिक हस्पताल से पुराने पुल तक बाढ़ से बचाव के लिए सुरक्षा दीवार नहीं बनी है और बरसात में बाढ़ आने से रास्ता व सड़क मार्ग टूट गया है जिससे 25 घरों के अनुसूचित जाति जनजाति के लगभग 160 लोग बुरी तरह से प्रभावित हुए है। सुरक्षा दिवार की व्यवस्था की जाए।

(श्री बुधी सिंह, जिला कुल्लू)

विभागीय उत्तर

इस सन्दर्भ में सम्बंधित उपायुक्त बैठक में सूचना उपलब्ध करवाएंगे।

(उपायुक्त कुल्लू)

54. बाढ़ बचाव के लिए व्यास नदी का सही ढंग से निकर्षण **(Dredging)** नही की गई है।

(श्री बुधी सिंह, जिला कुल्लू)

विभागीय उत्तर

इस सन्दर्भ में सम्बंधित उपायुक्त बैठक में सूचना उपलब्ध करवाएंगे।

(उपायुक्त कुल्लू)

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से सम्बन्धित मदें:—

55. हिमाचल प्रदेश में अनुसूचित जाति की संख्या 29% है विकास कार्यों के लिए एस सी डी पी **(SCDP)** मद का पैसा अनुसूचति जाति बहुल क्षेत्रों के अलावा अन्य पर खर्च किया जाता है जिससे इन जातियों का विकास नहीं हो पाता हिमाचल प्रदेश में भी तेलंगाना राज्य की तरह एस सी डी पी एक्ट बनाया जाया ताकि इस मद का पैसा सिर्फ और सिर्फ अनुसूचित जाति के लोगों के लिए ही खर्च हो।

(श्री संजय कुमार सुरेहली, जिला मंडी)

विभागीय उत्तर

अनुसूचित जाति विकास कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा विभिन्न विभागों की कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए राज्य के कुल विकासात्मक बजट का 25.19 प्रतिशत परिव्यय आवंटित किया जा रहा है, जोकि राज्य में जनगणना 2011 के अनुसार अनुसूचित जाति की जनसंख्या अनुरूप है। अनुसूचित जाति विकास कार्यक्रम मांग संख्या—32 के अंतर्गत आवंटित बजट को किसी अन्य मांग में स्थानांतरित नहीं किया जाता है । इसके अतिरिक्त, इस कार्यक्रम के अंतर्गत ऐसे अनुसूचित जाति बहुल गांवों, जिनमें जनगणना 2011 के अनुसार अनुसूचित जाति की जनसंख्या 40 प्रतिशत या उससे अधिक तथा 90 व्यक्ति या उससे अधिक हो के समग्र विकास हेतु विभिन्न आधारभूत विकासात्मक योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाता है। इन योजनाओं में मुख्यतः पेयजल योजनायें, स्वास्थ्य एवं शिक्षा संस्थानों के भवनों का निर्माण, ग्रामीण सड़कों का निर्माण, बाढ़ नियंत्रण एवं भू—संरक्षण कार्य तथा लघु सिंचाई योजनाओं सहित अन्य आधारभूत विकास कार्य सम्मिलित हैं। राज्य में अनुसूचित जातियों के सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षिक सशक्तिकरण को और अधिक

प्रभावी, पारदर्शी तथा परिणामोन्मुख बनाने के उद्देश्य से अनुसूचित जाति विकास कार्यक्रम अधिनियम बनाए जाने का मामला विचाराधीन है।

(सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग)

56. अनुसूचित कल्याण बोर्ड के अर्न्तगत तहसील कल्याण के तहत ग्राम पंचायत गडफरी मे **SDP** पंचायत प्लान के अन्तर्गत ग्रा0 प0 गडफरी के वन्जवाड़ के सलमौच तक बस योग्य सडक बनाने के लिए पैसा स्वीकृत कराने की कृपा करे इससे पंचायत गडफरी के गॉव हजोट के हुदूड और सलमौच, टोपी इत्यादी **S.C** के गॉवो को फायदा मिलेगा।

(श्री लक्ष्मण दास, जिला चम्बा)

57. **SCDP (Scheduled Caste Development Plan)** के तहत सड़क निर्माण के लिए **SC** जनसंख्या सीमा घटाई जाए। दुर्गम, सीमांत एवं बिखरी **SC** बस्तियों को प्राथमिकता दी जाए। "**Low Population SC Link Roads**" श्रेणी में नई सड़कें स्वीकृत की जाएँ।

(श्री रमेश चंद, जिला हमीरपुर)

<u>मद संख्या 56 व 57 का विभागीय उत्तर</u>

अनुसूचित जाति विकास कार्यक्रम के अंतर्गत ऐसे अनुसूचित जाति बहुल ग्रामों का समग्र विकास किया जाता है, जिनमें वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति की जनसंख्या 40 प्रतिशत या उससे अधिक तथा अनुसूचित जाति के 90 या उससे अधिक व्यक्ति निवास करते हैं। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु विभिन्न आधारभूत विकासात्मक योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाता है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत प्रतिवर्ष पूंजीगत कार्यों के योजना प्रारूप को अन्तिम रूप देते समय प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के लिये निम्नलिखित प्रमुख मदों में से प्रत्येक मद के अंतर्गत अधिकतम दो ही नये कार्य प्रस्तावित किए जाते हैं:–

- सड़कें एवं पुल
- पेयजल योजनाएँ
- सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण

इसके अतिरिक्त, शिक्षा, स्वास्थ्य, आयुष, पशुपालन, पुलिस तथा अन्य विभागों के भवन निर्माण से संबंधित पूंजीगत कार्यों के लिये प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र से केवल एक नया कार्य ही प्रस्तावित किया जाता है।

इस व्यवस्था का उद्देश्य उपलब्ध वित्तीय संसाधनों का संतुलित एवं न्यायसंगत वितरण सुनिश्चित करना, विकास कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर स्वीकृत करना तथा राज्य

के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में आधारभूत अवसंरचना के समग्र एवं संतुलित विकास को बढ़ावा देना है।

(सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग)

58. अनुसूचित जाति उप–योजना के तहत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2024–2025 में कितनी राशि जिला सिरमौर के लिए उपलब्ध कराई गई। इस राशि को मद बार कहाँ खर्च किया गया।

(श्री सन्तराम चौहान, जिला सिरमौर)

विभागीय उत्तर

अनुसूचित जाति विकास कार्यक्रम के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024–2025 में जिला सिरमौर के लिए कुल **मु0 79.55 करोड़ रू0** का बजट प्रावधान किया गया था जिसमे से मु0 74. 77 करोड़ रू0 खर्च किया गया। उपलब्ध करवायी गई धनराशि के बजट व व्यय का योजनावार विवरण अनुलग्नक–1 पर है।

(सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग)

59. वृद्धावस्था पैंशन व विधवा पैंशन जो लोगों को लगी है वह बहुत कम है। इससे लोगों का गुजारा नही हो रहा है। इसलिये मैं विधवा, बुढ़ापा पैंशन में बढ़ोतरी चाहता हूँ। जो दिव्यांग है उन्हें रोजाना मिलना जरूरी है।

(श्री मनोज कुमार, जिला बिलासपुर)

60. सरकार द्वारा वर्तमान में पेशंनर की आय सीमा कितनी है।

(श्री सन्तराम चौहान, जिला सिरमौर)

मद संख्या 59 व 60 का विभागीय उत्तर

प्रदेश सरकार द्वारा प्रदान की जा रही सामाजिक सुरक्षा पैंशन की विभिन्न श्रेणीयों में समय–समय पर बढ़ोतरी की जाती है तथा वर्तमान में सरकार द्वारा योजना के अन्तर्गत विभिन्न श्रेणीयों में बिना किसी आय सीमा के मु0 1000/1150/1500/1700 रू0 प्रतिमाह की दर से सामाजिक सुरक्षा पैंशन प्रदान की जा रही है। इसके अतिरिक्त 100 प्रतिशत दिव्यांगता वाले लाभार्थियों की पैंशन 3,000/– रू0 प्रतिमाह करने का निर्णय सरकार द्वारा लिया गया है।

(सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग)

61. अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन एवं सम्मान योजना (**Inter&Caste Harmony Initiative**) हम सरकार का हार्दिक धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने ऐसे जोड़ों के आत्मसम्मान और साहस को सम्मानित करने के लिए यह प्रोत्साहन योजना शुरू की है। यह केवल आर्थिक

सहायता नहीं, बल्कि सामाजिक स्वीकृति और परिवर्तन का प्रतीक है। साथ ही, यह आवश्यक है कि ऐसे लाभार्थी जोड़े जिन्होंने सामाजिक बंधनों को तोड़कर समानता और प्रेम को प्राथमिकता दी – उन्हें समाज में "समाज स्वाभिमान सम्मान" या "सामाजिक एकता सम्मान" जैसे पुरस्कारों से भी सम्मानित किया जाए। इससे अन्य युवाओं को भी प्रेरणा मिलेगी कि वे सामाजिक एकता और सद्भाव को बढ़ावा दें।

(श्री रमेश चंद, जिला हमीरपुर)

62. हम हिमाचल प्रदेश सरकार, विशेष रूप से माननीय मुख्यमंत्री, हिमाचल प्रदेश की सराहना करते हैं कि उन्होंने वर्ष 2025–26 के बजट में अंतर्जातीय विवाह फंड को बढ़ाकर 2 लाख रुपये करने की घोषणा की है। हम मांग करते हैं कि अगले साल के बजट में इन फंडों को बढ़ाकर 10 लाख रुपये किया जाए, जैसा कि पड़ोसी राज्यों में दिया जा रहा है।

(श्री पालक राम कश्यप जिला सोलन)

<u>मद संख्या 61 व 62 का विभागीय उत्तर</u>

अनुसूचित जाति तथा अन्य जातियों के मध्य छूआछूत की कुप्रथा को विवाह के माध्यम से समाप्त करने वाले ऐसे जोड़ों के आत्मसम्मान और साहस को सम्मानित करने के लिए सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश अर्न्तजातीय विवाह पुरस्कार योजना के माध्यम से पुरस्कार राशि प्रदान की जाती है। यह राशि सरकार द्वारा वर्तमान में दिनांक 31.10.2025 को मु0 50,000/–रू0 से बढ़ाकर मु0 2.00 लाख रू0 कर दी गई है।

(सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग)

63. समानता का प्रदेश हिमाचल प्रदेश, जहाँ इतिहास में असमानता के ग्रंथ रचे गए वहीं अब समानता, न्याय और सामाजिक समरसता की नई मिसाल बने। राज्य सरकार "समानता संकल्प दिवस" घोषित करे, जिसके माध्यम से जातिगत भेदभाव और सामाजिक अन्याय के खिलाफ जन–जागरण अभियान चलाया जाए।

(श्री रमेश चंद, जिला हमीरपुर)

64. भारत के संविधान और **SC** और **ST** (अत्याचार) अधिनियम, 1989 की प्रतियों का वितरण। हम अनुरोध करते हैं कि **SC** और **ST** बहुल क्षेत्रों में जागरूकता शिविर आयोजित किए जाएं और भारत के संविधान और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार) अधिनियम, 1989 की प्रतियां **SC** और **ST** लोगों, जिनमें महिलाएं भी शामिल हैं, को वितरित की जाएं ताकि वे संविधान और उक्त अधिनियम के तहत अपने कानूनी अधिकारों को जान सकें।

(श्री पालक राम कश्यप, जिला सोलन)

65. अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग अल्पसंख्यक समुदायो के साथ रह रहे अत्याचारों बारे विशेष ध्यान देकर समानता का व्यवहार होना चाहिए।

(श्री मोहन लाल, जिला ऊना)
(श्री ज्ञान चंद, जिला कागड़ा)

<u>मद संख्या 63 से 65 का विभागीय उत्तर</u>

जातिगत भेदभाव और सामाजिक अन्याय के खिलाफ लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से जिला/तहसील/ब्लॉक/पंचायत स्तर पर नागरिक अधिकारी संरक्षण अधिनियम 1995 के अन्तर्गत जागरूकता शिविरों का आयोजन किया जाता है। इन जागरूकता शिविरों में अधिनियमों से सम्बन्धित विभाग द्वारा छपवाए गए पैम्फलैट भी उपलब्ध करवाये जाते हैं। इसके अतिरिक्त प्रत्येक वर्ष में डा0 भीम राव अम्बेड़कर की जयन्ती के उपलक्ष पर 14 अप्रैल को "समानता दिवस" के रूप में भी मनाया जाता है।

(सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग)

66. जातिगत अपमान, भेदभाव या गाली–गलौज की स्थिति में तुरंत **FIR** दर्ज करने की बाध्यता हो। सोशल मीडिया पर जातिगत टिप्पणियों, अभद्र भाषा या शोषण संबंधी सामग्री पर साइबर सेल द्वारा तुरंत कानूनी कार्यवाही की जाए।

(श्री रमेश चंद, जिला हमीरपुर)

67. हिमाचल प्रदेश में अनुसूचित जातियों के विरुद्ध अत्याचार, भेदभाव या हिंसा के मामलों में त्वरित न्याय प्रक्रिया (**Fast Track Courts**) स्थापित की जाए और अत्यंत गंभीर अपराधों के लिए आजीवन कारावास या मृत्युदंड का प्रावधान विचाराधीन किया जाए। इससे सामाजिक भय समाप्त होगा और न्याय में विश्वास बढ़ेगा।

(श्री रमेश चंद, जिला हमीरपुर)

68. पंचायत स्तरीय टास्क फोर्स यूनिट (**SC/ST Atrocity Prevention Task Force**) प्रत्येक पंचायत में 5 सदस्यीय **SC/ST** सुरक्षा टास्क फोर्स यूनिट का गठन किया जाए। कार्य भेदभाव या उत्पीड़न की शिकायत प्राप्त होने पर तत्काल कार्रवाई, पुलिस व **SDM** को सूचना, और पीड़ित सहायता। प्रत्येक पंचायत को ₹50,000 वार्षिक अनुदान **SC/ST** सुरक्षा कोष के रूप में प्रदान किया जाए।

(श्री रमेश चंद, जिला हमीरपुर)

मद संख्या 66 व 68 विभागीय उत्तर

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 तथा नागरिक सरंक्षण अधिनियम, 1995 प्रदेश में प्रभावी रूप से लागू हैं तथा अधिनियम में FIR दर्ज होने के आधार पर अपराध की श्रेणी अनुसार सजा का प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त प्रदेश में पुलिस महानिदेशक हि0प्र0 की अध्यक्षता में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति सरंक्षण सेल का गठन भी किया गया है तथा अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु राज्य के सभी जिला एवं सत्र न्यायालयों को विशेष न्यायालयों के रूप में नामित किया गया है।

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 तथा नागरिक सरंक्षण अधिनियम, 1995 के अन्तर्गत शिकायतों का निवारण करने हेतु भारत सरकार द्वारा अत्याचारों के खिलाफ राष्ट्रीय हेल्पलाईन पोर्टल व टोल फ्री न0 14566 का संचालन किया जा रहा है जिसके माध्यम से सम्बंधित थाना प्रभारी को शिकायत दर्ज करवाई जा सकती है।

(सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग)

69. राज्य में किसी भी सार्वजनिक स्थल, धार्मिक स्थान या सरकारी संस्थान में छुआछूत जैसी अमानवीय प्रथाओं पर कठोर दण्डात्मक प्रावधान लागू किए जाए।

(श्री रमेश चंद, जिला हमीरपुर)
(श्री पालक राम कश्यप, जिला सोलन)

विभागीय उत्तर

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 तथा नागरिक सरंक्षण अधिनियम, 1995 प्रदेश में प्रभावी रूप से लागू हैं तथा ऐसा कोई भी मामला विभाग के संज्ञान में आने पर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 तथा नागरिक सरंक्षण अधिनियम, 1995 के तहत प्राथमिकी उपरान्त त्वरित कार्यवाही अमल मे लाई जाती है।

(सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग)

70. अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग अल्पसंख्यक समुदायो के लिए स्वीकृत होने वाला बजट केवल इसी समुदायो के उत्थान के लिए खर्च होना चाहिए इस बजट को किसी अन्य समुदायो के लिए खर्च नहीं किया जाना चाहिए तथा इसकी सूचना वर्ष वार व प्रत्येक विधान सभा वार सम्बन्धित गैर सरकारी सदस्यों को मिलनी चाहिए।

(श्री मोहन लाल, जिला ऊना)

विभागीय उत्तर

सरकार द्वारा संचालित योजनाओं में वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर संबंधित वर्गों की जनसंख्या के अनुपात में बजट आबंटन किया जाता है तथा प्रावधित बजट का व्यय निर्धारित मापदण्डो के आधार पर सम्बंधित वर्गो के उत्थान हेतु किया जाता है।

(सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग)

71. अनुसूचित जाति के लिए वित्तीय वर्ष 2024–25 में जिला सिरमौर के लिए आवास योजना के तहत सरकार द्वारा कितनी राशि उपलब्ध करवाई गई और वित्तीय वर्ष में कितने आवास स्वीकृत किए गये। मेरा सुझाव है कि आवास हेतू वर्तमान में एक लाख पचास हजार की राशि दी जा रही है जो कि बेहद कम है। इसे बढ़ाकार मु0 तीन लाख किया जाए।

(श्री सन्तराम चौहान, जिला सिरमौर)

72. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए जो भी मकान के अनुदान की राशि है उसमें बढ़ोतरी की जाए।

(श्रीमति उर्मिला देवी, जिला कांगड़ा)

मद संख्या 71 व 72 का विभागीय उत्तर

वित्तीय वर्ष 2024–25 मे जिला सिरमौर के लिए स्वर्ण जयंती आश्रय योजना के अन्तर्गत मु0 172.50 लाख रु0 की राशि उपलब्ध करवाई गई तथा 115 आवास स्वीकृत किए गए है। आवास हेतु एक लाख पचास हजार की राशि दी जाती है। इसके अतिरिक्त सरकार द्वारा योजना के अन्तर्गत आबंटित सहायता अनुदान राशि में समय–समय पर बढ़ोतरी की जाती है।

इसके अतिरिक्त इस संदर्भ में शहरी विकास विभाग द्वारा अवगत करवाया गया है कि अनुसूचित जाति के लिए वितीय वर्ष 2024–25 में जिला सिरमौर के लिए आवास योजना, शहरी के तहत सरकार द्वारा मु0 1,14,70,000 रूपये की राशि उपलब्ध करवाई जा चुकी है और उक्त वितीय वर्ष में 62 आवास स्वीकृत किए गए है।

पूर्व में आवास योजना शहरी के तहत मु0 1,85,000 रूपये की धनराशि का प्रावधान था, जिसमें केंन्द्र सरकार द्वारा मु0 1,50,000 रूपये तथा राज्य सरकार द्वारा मु0 35,000 रूपये की राशि दी जाती थी, जिसे आवास योजना, शहरी 2.0 में बढाकर मु0 2,50,000 रूपये किया जा चुका है जिस में से केंन्द्र सरकार द्वारा मु0 2,50,000 रूपये तथा राज्य सरकार द्वारा मु0 25,000 रूपये की धनराशि प्रदान की जा रही है।

(सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग)

73. अनुसूचित जाति अन्य पिछड़ा वर्ग अल्पसंख्यक समुदायो को दी जाने वाली प्रत्येक सहायता के लिए वार्षिक आय 50000/– पच्चास हजार की बजाये 1,00,000/– एक लाख निर्धारित की जानी चाहिए।

(श्री मोहन लाल, जिला ऊना)

74. आवास योजना के तहत पात्रता हेतु आय सीमा न्यूनतम 50000/– पचास हजार रखी गई है। इसे बढाकर न्यूनतम आय सीमा एक लाख की जाए ताकि अनुसूचित जाति के गरीब व्यक्ति या परिवार को इसका लाभ प्राप्त हो सके।

(श्री सन्तराम चौहान, जिला सिरमौर)

75. अनुसूचित जाति के लिए वार्षिक आय सीमा को बढ़ा कर रू0 1,00,000/– किया जाना चाहिए।

(श्री अमर सिंह धीमान, जिला सिरमौर)

मद संख्या 73 से 75 का विभागीय उत्तर

सरकार द्वारा विभाग के माध्यम से संचालित विभिन्न योजनाओं के तहत पात्रता हेतु वार्षिक आय सीमा 50000/– पचास हजार रखी गई है तथा वर्तमान में आय बढ़ोतरी बारे कोई भी मामला सरकार के विचारधीन नही है।

यद्यपि शहरी विकास विभाग द्वारा यह अवगत करवाया गया है कि वर्तमान में आवास योजना, शहरी 2.0 के अंतर्गत इस विभाग द्वारा केवल बेनिफिशरी लैंड कंस्ट्रक्शन कॉम्पोनेन्ट चलाया जा रहा है जिसके तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आय सीमा मु0 3,00,000 रूपये रखी गयी है।

(सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग)

76. जानकारी के मुताबिक शिलाई इलाका में अनुसूचित जाति को कुछ क्षेत्र में जातिवाद को बढावा दिया जाता है इसलिए अनुसूचित अधिनियम 1985 के तहत सूचना मिलने पर कारवाई में विलम्ब किया जाता है।

(श्री अमर सिंह धीमान, जिला सिरमौर)

विभागीय उत्तर

इस सन्दर्भ में अवगत करवाया जाता है कि ऐसा कोई भी मामला विभाग के संज्ञान में नही आया है। जातिगत भेदभाव और सामाजिक अन्याय के खिलाफ लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से जिला/तहसील/ब्लॉक/पंचायत स्तर पर नागरिक अधिकारी संरक्षण अधिनियम 1995 के अन्तर्गत जागरूकता शिविरों का आयोजन किया जाता है जिसमें अधिनियमों से सम्बन्धित विभाग द्वारा छपवाए गए पैम्फलैट भी उपलब्ध करवाये जाते हैं। यद्यपि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989

तथा नागरिक सरंक्षण अधिनियम, 1995 के तहत प्राथमिकी उपरान्त विभाग द्वारा त्वरित कार्यवही अमल मे लाई जाती है।

(सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग)

77. जिला कल्याण बोर्ड में हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जो भी योजनांए चलाई जाती है। उन योजनाओं से लोगों को व्यक्तिगत रूप से अवगत कराया जाए। ताकि अनुसूचित वर्ग के लोगों को पंचायत या अन्य किसी भी सस्था पर निर्भर न रहना पड़े।

(श्री उर्मिला देवी, जिला कांगडा)

विभागीय उत्तर

विभाग द्वारा संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के संबंध में सभी वर्ग/समुदाय के व्यक्तियों को जागरूक एवं अवगत करवाने के लिए जिला एवं तहसील स्तर पर समय–समय पर जागरूकता शिविर आयोजित किए जाते हैं। इन शिविरों के माध्यम से पात्र लाभार्थियों को योजनाओं की पात्रता, लाभ एवं आवेदन प्रक्रिया की जानकारी प्रदान की जाती है, ताकि पात्र व्यक्ति पंचायत अथवा अन्य संस्थाओं पर निर्भर हुए बिना स्वयं योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदन कर सकें। इसके अतिरिक्त विभिन्न समाचार पत्रों, रेडियो व दूरदर्शन के माध्यम से भी विभाग द्वारा संचालित योजनाओं बारे अवगत करवाया जा रहा हैं।

(सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग)

78. अनुसूचित जाति के कल्याण योजनाओं जैसे छात्रवृति, आवास, आर्थिक सहायता, कौशल विकास कार्यक्रम स्वयं रोजगार ऋण योजनाओं तथा अन्य राज्य स्तरीय कार्यक्रमों की वर्तमान स्थिति का परीक्षण किया जाए। योजनाओं के अंतरर्गत स्वीकृत एंव विपरित धनराशि, लाभार्थियों की संख्या चयन प्रक्रिया और वास्तविक कार्यान्वयन स्तर का तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया जाये प्रगति में बाधा उत्पन्न करने वाली प्रशासनिक तकनीकी अथवा फील्ड स्तर की समस्याओं का विश्लेषण किया जाए। तथा उनके समाधान हेतु आवश्यक दिशा निर्देश प्राप्त किए जाए। जिले द्वारा अब तक की उपलब्धियों एवं योजनाओं के प्रभाव का मुल्यांकन करते हुए आगे की रणनीति बनाई जाए। इसके अतिरिक्त लाभार्थियों से संबंधित शिकायतें, जिसमें लंबित आवदेनों जैसे छात्रवृति अनुमोदन, आर्थिक सहायता प्रमाण पत्र स्वीकृति आदि का वर्तमान स्थिति प्रस्तुत की जाए। विलंब के कारणों पर चर्चा कर जरूरी सुधारात्मक कदम तय किए जाए शिकायत निवारण प्रणाली को पारदर्शी, सुगम और सही बनाने हेतु, सुझाव दिशा–निर्देश निर्धारित किए जाएं।

(श्री त्रिलोक चन्द, जिला कांगड़ा)

विभागीय उत्तर

विभाग द्वारा अनुसूचित जाति सहित अन्य वर्गो के कल्याण हेतु चलाई जा रही योजनाओं का समय–समय पर समीक्षा की जाती है तथा वर्तमान परिदृष्य मे इन योजनाओं में जो संशोधन वांछित होता है वह सुनिश्चित किया जा रहा है। इन योजनाओ के अन्तर्गत लाभार्थियों का चयन सरकार द्वारा अधिसूचित जिला कल्याण समिति की सिफारिश/ अनुमोदन के आधार पर किया जाता है। स्वीकृत राशि लाभार्थियों को समयबद्ध रूप से प्राप्त हो इसलिए राशि का आबटंन सीधे उनके बचत खातों के माध्यम से किया जा रहा है।

(सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग)

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विकास निगम से सम्बन्धित मदें:

79. राज्य सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति निगम से उद्यमियों को 50% अनुदान (सब्सिडी) और व्याज–मुक्त या रियायती दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाए, ताकि अधिक से अधिक परिवार आत्मनिर्भर बन सके और स्वरोजगार की दिशा में आगे बढें।

(श्री रमेश चंद, जिला हमीरपुर)

विभागीय उत्तर

हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विकास निगम हिमाचल सरकार के सौजन्य से संचालित योजनाओं के अन्तर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और सफाई कार्य मे संलिप्त कर्मचारियों के आश्रितों का आयवर्धक परियोजनाओं को स्थापित करने के लिए ऋण सहायता उपलब्ध करवाता है ताकि उपरोक्त लक्षित समूहों के परिवारों को अपने जीवन यापन के लिए कोई कठिनाई न हो। इस निगम के द्वारा अनुसूचित जाति के पात्र परिवारों को मु0 1.40 लाख रुपये से मु0 50 लाख रुपये तक के ऋण उपलब्ध करवाए जाते है। इसके लिए पारिवारिक आय सीमा बिना पूंजी अनुदान के मु0 5.00 लाख रुपये वार्षिक से तक या इससे कम हानी चाहिए।
इसके अतिरिक्त यह निगम अनुसूचित जनजाति के पात्र परिवारों को मु0 0.50 लाख से मु0 50.00 लाख रुपये तक के ऋण उपलब्ध करवाए जाते है इसके लिए पारिवारिक आय सीमा बिना पूंजी अनुदान के मु0 3.00 लाख रुपये वार्षिक से तक या इससे कम हानी चाहिए।
इसके अतिरिक्त यह निगम सफाई कार्य मे संलिप्त कर्मचारियों के आश्रितों को को मु0 1.00 लाख से मु0 15.00 लाख रुपये तक के ऋण उपलब्ध करवाए जाते है इसके लिए पारिवारिक आय सीमा की शर्त नही है।

(अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विकास निगम)

****

अनुलग्नक–1

अनुसूचित जाति विकास कार्यक्रम के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024–2025 में जिला सिरमौर के लिए उपलब्ध करवायी गई धनराशि के बजट व व्यय का योजनावार विवरण

Head of Account	Department/Schceme	Outlay 2024-25 (₹ in lakh)	Exp. (₹ in lakh)
	Agriculture		
2401-00-789-63-S00N	Rajya Krishi Yantrikaran Programme	18.00	18.00
2401-00-789-70-S00N	Mukhmantri Krishi Sambardhan Yojna	51.00	51.00
2401-00-789-71-S00N	Mukhyamantri Krishi Utpadan Sanrakshan Yojna	85.30	85.30
2401-00-789-73-S00N	Promotion of Nutrie Cerals	3.28	3.28
2401-00-789-74-S00N	Support for transfer of technology	3.09	3.09
	Total : Agriculture	**160.67**	**160.67**
	Soil & Water Conservation		
2402-00-789-02-S00N	Protective Afforestation Soil Conservation and Demonstration (Forest Department)	86.92	86.88
	Total Soil Water Conservation	**86.92**	**86.88**
	Animal Husbandry		
4403-00-789-02-S00N	Buildings (Veterinary Services & Animal Health)	20.84	20.84
	Total Animal Husbandry	**20.84**	**20.84**
	Forests		
2406-01-789-27-S00N	State Forestry Programme	61.04	61.04
2406-01-789-29-S00N	Mukhymantri van vistar yojana	95.00	94.86
4216-01-789-03-S00N	Construction under Forest Sector	27.80	27.80
4406-01-789-02-S00N	Buildings	31.45	31.44
	Total : Forest	**215.29**	**215.14**
	Cooperation		
2425-00-789-05-S00N	Enrollment Subsidy to New Scheduled Caste Members.	0.40	0.40
2425-00-789-06-S00N	Working Capital Subsidy to All Kinds of Scheduled Caste Cooperatives	2.00	2.00
4408-01-789-02-S00N	Investment in Public Sector & Other Undertakings	-	-
4425-00-789-01-S00N	Primary Agricultural Credit Socities	1.00	1.00
	Total : Cooperation	**3.40**	**3.40**
	Panchayat	**-**	**-**
2515-00-789-23-S00N	SFC Grant for GPs	72.00	30.00
4515-00-789-01-S00N	Construction of Buildings	72.00	33.00

Head of Account	Department/Schceme	Outlay 2024-25 (₹ in lakh)	Exp. (₹ in lakh)
	Total : Panchayat	**144.00**	**63.00**
	Jal Shakti Vibhag		
4215-01-789-01-S00N	Urban Water Supply Schemes in Various Districts	52.92	14.59
4215-01-789-02-S00N	Rural Water Supply Schemes in Various Districts	20.15	20.15
4215-01-789-11-S00N	Remodelling/Renovation of Old Water Supply Schemes	125.69	-
4215-02-789-02-S00N	Drainange Sanitation Sewerage Schemes in Various Districts	-	118.28
4705-00-789-01-S00N	Command Area Development	63.05	24.00
4711-01-789-20-S10N	Erosion protection measures along right bank of river Yamuna and its tributaries in tehsil Paunta sahib District Sirmour-37-Major Works	0.50	-
4711-01-789-21-S10N	Chanelization of Markande river tehsil Nahan District Sirmour-37 major work	0.50	-
4711-01-789-22-S10N	Chanelization of Giri river Near village Rajban(Harijan Basti) and Nawada in Tehsil Paunta-37 major work	0.50	-
	Total Jal Shakti Vibhag	**263.31**	**177.02**
	ENERGY		
2501-04-789-03-S00N	NRSE/IREP -42-Grants-in-Aid General (Non-Salary)	41.35	-
	Total: Energy	**41.35**	**-**
	Industries	**-**	**-**
2851-00-789-36-S00N	Mukhymantri Swavlamban Yojana (MMSY)	12.24	8.66
2059-80-789-02-S00N	Maintenance of Industry Departemnt Buildings	2.00	2.00
	Total : Industries	**14.24**	**10.66**
	Public Works	**-**	**-**
5054-04-789-01-S00N	Construction of Rural Roads	563.42	563.42
5054-04-789-04-S00N	Construction of Bridges.	74.00	74.00
5054-04-789-10-S00N	Construction of Roads Under National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD)	3,001.42	3,001.42
5054-04-789-16-S00N	Mukhya Mantri Sadak Yojna	40.39	40.39
	Total: Public Works	**3,679.23**	**3,679.23**
	School Edcation		
2202-01-789-23-S00N	Reimbursement of Fee of Weaker Section Students in Private School -	4.01	4.01

Head of Account	Department/Schceme	Outlay 2024-25 (₹ in lakh)	Exp. (₹ in lakh)
	20-Other Charges		
4202-01-789-02-S00N	Building(Secondary Education)	66.66	23.55
	Total : School Education	**70.67**	**27.56**
	Higher Education		
4202-01-789-05-S00N	C/o College Buildings	60.00	-
	Total : Higher Education	**60.00**	**-**
	Technical Education		
4202-02-789-01-S00N	Construction of Buildings	10.00	-
4202-02-789-03-S00N	Construction of Industrial Training Institute (ITI) Buildings	40.00	40.00
	Total : Technical Education	**50.00**	**40.00**
	Language Art & Culture		
2205-00-789-03-S00N	Organisation of Cultural Activities	5.00	5.00
	Total : Language Art & Culture	**5.00**	**5.00**
	Health Services	**-**	**-**
4210-02-789-01-S00N	Rural Health	132.32	132.32
	Total : Health Services	**132.32**	**132.32**
	Ayush	**-**	**-**
4210-04-789-01-S00N	Buildings	20.84	20.84
	Total : Ayush	**20.84**	**20.84**
	Medical Education & Research		
4210-03-789-04-S00N	Medical College, Nahan	152.00	-
	Total : Medical Education & Research	**152.00**	**-**
	Police		
4055-00-789-04-S00N	Police Housing	10.00	10.00
	Total : Police	**10.00**	**10.00**
	ESOMSA	**-**	**-**
2225-01-789-05-S00N	Swaran Jyanti Ashray Yojna	146.15	145.84
2225-01-789-13-S50N	Compensation to Victims of Atrocities	11.50	11.50
4225-01-789-02-S00N	Construction of Departmental/Other Buildings for Welfare of Scheduled Castes	60.00	60.00
2235-01-789-01-S00N	Disabled Rehabilitation	227.99	227.99
2235-60-789-02-S00N	Widow Pension Under Social Security Scheme	435.02	435.02
2235-60-789-03-S00N	Old Age Pension	1,604.53	1,604.53
2235-60-789-04-S00T	National Old Age Pension	173.60	173.60
2235-60-789-05-S00T	Indira Gandhi National Widow Pension Under Social Security Scheme	62.45	62.45
2235-60-789-06-S00T	Indira Gandhi National Disable Pension Under Social	2.38	2.38

Head of Account	Department/Schceme	Outlay 2024-25 (₹ in lakh)	Exp. (₹ in lakh)
	Security Scheme		
2235-60-789-07-S00N	Indira Gandhi Pyari Behna Sukh Samman Nidhi Yojna	4.64	4.64
	Total : ESOMSA	**2,728.26**	**2,727.95**
	Women & Child Development	**-**	**-**
2235-02-789-25-S00N	Rehabilitation Support to Minor Victims of Rape, Child Abuse & Objectification Background	5.95	5.95
2235-02-789-07-S00N	Mukhya Mantri Kanya Daan Yojna	25.00	24.99
2235-02-789-09-S00N	Widow Remarriage Scheme	6.00	6.00
2235-02-789-13-S00N	Mother Tereisa Yojna	7.14	7.14
2235-02-789-32-S00N	Marriage Grants to Girls	25.00	24.80
2235-02-789-49 S00N	Mukhymantri Sukh Ashry Yojana	27.86	27.82
	Total : Women & Child Development	**96.95**	**96.70**
	Grand Total	**7,955.29**	**7,477.21**